



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मई, 2020-ज्येष्ठ 1, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित)

(अंतर्गत धारा-36 वक्फ अधिनियम 1995)

फ. क्र. 133/2/आर-भोपाल/2017.--वक्फ कब्रस्तान लतीफ नगर ग्राम निशातपुरा नारियल खेड़ा भोपाल के पंजीयन हेतु सचिव मुतवल्ली कमेटी औकाफ आम्मा भोपाल द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर उक्त संपत्ति के पंजीयन हेतु वक्फ अधिनियम 1995 की धारा-36 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है. जिस पर विधिवत नोटिस एवं सूचना-पत्र जारी किये गये, परंतु निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है. इस प्रकार वक्फ संबंधित आवेदन साक्ष्य व अभिलेखों से प्रमाणित है कि निम्न संपत्ति वक्फ घोषित है. जिसका पंजीयन वक्फ पंजी के अनुक्रमांक 776 पर वक्फ अधिनियम 1995 की धारा-36 के तहत कर लिया गया है.

वक्फ सम्पत्ति का विवरण

नाम वक्फ	संपत्ति जिसकी प्रविष्टि वक्फ पंजी में की गई है.
वक्फ कब्रस्तान लतीफ नगर ग्राम निशातपुरा, नारियल खेड़ा, भोपाल.	खसरा नंबर 139/38 रबका 0.54 डेसीमल

अतः सर्वसंबंधित को सूचित किया जावे.

(26-बी.)

युनुस खान,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

नाम परिवर्तन

मैं, शंकर अय्यादुरई (Shankar Ayyadurai) आत्मज एस. अय्यादुरई (S. Ayyadurai) निवासी- म.नं. 158-सी, संगम गार्डन अवधपुरी पी-2 बरखेड़ा भेल भोपाल का हूं. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम A. Shankar, A Shankar, Shankar दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम A. Shankar, A Shankar, Shankar दर्ज है उसके स्थान पर Shankar Ayyadurai पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(ए. शंकर)

(A SHANKAR)

नया नाम :

(शंकर अय्यादुरई)

(SHANKAR AYYADURAI).

(27-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, कोमरा रामा राव Komara Rama Rao आत्मज कोमरा राजा राव Komara Raja Rao, निवासी- म.नं. 6 बालाजी नगर जे.के. रोड नरेला शंकरा भोपाल का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम K Rama Rao आत्मज श्री K Raja Rao दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम K Rama Rao आत्मज श्री K Raja Rao दर्ज है उसके स्थान पर Komara Rama Rao आत्मज Komara Raja Rao पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(के. रामा राव)

(K RAMA RAO)

(28-बी.)

नया नाम :

(कोमरा रामा राव)

(KOMARA RAMA RAO)

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक कुमार कोरी Ashok Kumar Kori आत्मज पन्ना लाल कोरी Panna Lal Kori, निवासी- म.नं. 62, कबीर मंदिर के पास, तकिया मोहल्ला निमाडी मध्यप्रदेश का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम Ashok Kori दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम Ashok Kori दर्ज है उसके स्थान पर Ashok Kumar Kori पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(अशोक कोरी)

(ASHOK KORI)

(29-बी.)

नया नाम :

(अशोक कुमार कोरी)

(ASHOK KUMAR KORI)

नाम परिवर्तन

मैं, विनोद परमार, आयु 33 वर्ष, निवासी 22, कबीर मार्ग गली नंबर-3 धार, तहसील धार, जिला धार मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी हूँ आज दिनांक 24/01/2020 से मुझे मात्र विनोद परमार नाभावंशी के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(विनोद परमार)

(30-बी.)

नया नाम :

(विनोद परमार नाभावंशी)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ प्रार्थी वृन्दावन गोयल (Brindavan Goyal) ने एक एलआईसी पॉलिसी क्र. 203221033 दिनांक 19/01/2011 को कराई थी जिसमें मेरा पूर्व नाम वृन्दावन सिंह जाटव (Brandavan Singh Jatva) पुत्र श्री राम बाबू जाटव निवासी मेजर कॉलोनी, गदाईपुरा नहर, बिरलानगर, ग्वालियर मध्यप्रदेश दर्ज है. इसी नाम से मेरे शैक्षणिक दस्तावेज भी हैं. वर्तमान में मुझ प्रार्थी ने अपना बदलकर वृन्दावन गोयल (Brindavan Goyal) कर लिया है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक आदि में भी दर्ज है. अतः भविष्य में मुझे वृन्दावन गोयल (Brindavan Goyal) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा, लिखा व समझा जावे तथा मेरी उक्त एलआईसी पॉलिसी का भुगतान वृन्दावन सिंह जाटव के स्थान पर मेरे नये नाम वृन्दावन गोयल (Brindavan Goyal) के नाम से किया जाये.

पुराना नाम :

(वृन्दावन सिंह जाटव)

(BRANDAVAN SINGH JATVA)

(31-बी.)

नया नाम :

(वृन्दावन गोयल)

(BRINDAVAN GOYAL)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. सारथी कंस्ट्रक्शन का वर्तमान रजिस्टर्ड ऑफिस जिसका पता 102, ड्रीम अपार्टमेंट, 369 जीवाजी नगर ठाटीपुर, ग्वालियर है, उक्त ऑफिस को 12, लक्ष्मीबाई कॉलोनी पड़ाव ग्वालियर में स्थानांतरित किया जा रहा है. दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से फर्म से सम्बंधित सभी व्यवहार नये ऑफिस को 12, लक्ष्मीबाई कॉलोनी पड़ाव पर ही किये जाएंगे.

मै. सारथी कंस्ट्रक्शन,

गौरव भारद्वाज,

(भागीदार)

(32-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स एस. आर. कंस्ट्रक्शन स्थित चिक संतर, मुरार, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/42/01/00193/09 दिनांक 23 मार्च, 2009 है, जिसमें दिनांक 28 फरवरी, 2020 को भागीदार श्री धर्मेन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री उदयभान सिंह राणा अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 28 फरवरी, 2020 को श्रीमती सीमा समाधिया पत्नी श्री राजकुमार समाधिया, निवासी- चिक संतर, मुरार फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-एस. आर. कंस्ट्रक्शन,
राजकुमार समाधिया,
चिक संतर, मुरार, ग्वालियर.

(33-बी.)

विविध**निविदा सूचनाएं**

भोपाल, दिनांक 20 मई, 2020

निविदा सूचना

क्र. जी. बी./5(वि-10)2019-20/614.—शासकीय केन्द्रीय/क्षेत्रीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा स्थित मुद्रणालयों में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में एकत्रित कागज की रद्दी, कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों के विक्रय हेतु आईटी विभाग की वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर निविदा दिनांक 1 जून, 2020 सायं 5.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं।

- ऑनलाईन तकनीकी निविदा में प्रस्तुत दस्तावेज दिनांक 1 जून, 2020 अपराह्न 5.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन निविदा में प्रस्तुत दस्तावेज दिनांक 2 जून, 2020 अपराह्न 1.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष डाउनलोड कर खोला जायेगा। निविदाकार की अनुपस्थिति में उपस्थित हुए प्रतिनिधि को अधिकार-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - निविदा विज्ञप्ति एवं शर्तों आदि को अवलोकन हेतु शासकीय प्रेस की www.govtpressmp.nic.in में रखा गया है।
 - सूचना/संशोधन या सुधार की स्थिति में जानकारी आई.टी. विभाग की वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।
- (नस्ती पर नियंत्रक द्वारा अनुमोदित)

विलास मंथनवार,
उप-नियंत्रक,
वास्ते नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(466)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)**

राजगढ़, दिनांक 11 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/187.—शिक्षक आवास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खिलचीपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 798, दिनांक 16 अप्रैल, 2002 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्था प्रशासक से अभिमत प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये शिक्षक आवास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खिलचीपुर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एच. के. शाक्यवार, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एच. के. शाक्यवार, सह. निरी. परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(436)

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये जवाहर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या, राजगढ़ को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. एन. गुप्ता, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने

के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. एन. गुप्ता, सह. निरी. परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(441)

राजगढ़, दिनांक 11 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/189.—सुभाष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 408, दिनांक 18 जुलाई, 1989 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्था प्रशासक से अभिमत प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये सुभाष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़ को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. मकवाना, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. एस. मकवाना, सह. निरी. परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(438)

राजगढ़, दिनांक 11 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/193.—शुभम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 630, दिनांक 29 दिसम्बर, 1997 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्था प्रशासक से अभिमत प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये शुभम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़ को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. मकवाना, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. एस. मकवाना, सह. निरी. परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(442)

राजगढ़, दिनांक 11 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/194.—म. प्र. विद्युत मंडल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 805, दिनांक 25 जून, 2002 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्था प्रशासक से अभिमत प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये म. प्र. विद्युत मंडल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़ को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. मकवाना, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. एस. मकवाना, सह. निरी. परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(443)

राजगढ़, दिनांक 11 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/195.—सिद्धार्थ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 822, दिनांक 14 अगस्त, 1982 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्था प्रशासक से अभिमत प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. एल. यादव, सह. निरी. परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(450)

राजगढ़, दिनांक 11 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/202.—चर्मकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 97, दिनांक 12 अक्टूबर, 1956 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्था प्रशासक से अभिमत प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये चर्मकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एल. यादव, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. एल. यादव, सह. निरी. परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(451)

राजगढ़, दिनांक 11 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/203.—लायर्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ब्यावरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 830, दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्था प्रशासक से अभिमत प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये लायर्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ब्यावरा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एल. यादव, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. एल. यादव, सह. निरी. परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(452)

राजगढ़, दिनांक 11 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/204.—बखतपुरा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बखतपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 146, दिनांक 26 जून, 1979 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्था प्रशासक से अभिमत प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये बखतपुरा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बखतपुरा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एल. यादव, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. एल. यादव, सह. निरी. परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(453)

राजगढ़, दिनांक 11 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/190.—मौलाना अब्दुल कलाम आजाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खुजनेर, जिसका पंजीयन क्रमांक 637, दिनांक 23 सितम्बर, 1998 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्था प्रशासक से अभिमत प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खुजनेर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. के. रावत, वरि. सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री ए. के. रावत, वरि. सह. निरी. परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

आर. एस. गौर,
उप-पंजीयक.

(439)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (अ) के अंतर्गत]

यहकि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1449, दिनांक 23-08-2012 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 1213, दिनांक 01-08-2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई है.

श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 28-02-2020 को दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, भारती शेखावत, उपायुक्त सहकारिता, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता के ज्ञाप क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करती हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री आर.सी. मालवीय, व.स. नि. को आदेशित करती हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

भारती शेखावत,
उपायुक्त, सहकारिता.

(429)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

रीवा, दिनांक 29 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/413.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./445, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कनौजा, पंजीयन क्रमांक 977, दिनांक 16 अगस्त, 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कनौजा, पंजीयन क्रमांक 977, दिनांक 16 अगस्त, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(456)

रीवा, दिनांक 29 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/414.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./445, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बदिगवां (कोरिगवां), पंजीयन क्रमांक 1027, दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बदिगवां (कोरिगवां), पंजीयन क्रमांक 1027, दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(457)

रीवा, दिनांक 29 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/416.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./445, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के द्वारा शंकर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रघुनाथगढ़, पंजीयन क्रमांक 1085, दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शंकर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रघुनाथगढ़, पंजीयन क्रमांक 1085, दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(458)

रीवा, दिनांक 29 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/417.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./445, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के द्वारा माँ लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सफरजीमा, पंजीयन क्रमांक 1003, दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सफरजीमा, पंजीयन क्रमांक 1003, दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(459)

रीवा, दिनांक 29 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/418.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./373, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंचनपुर, पंजीयन क्रमांक 1046, दिनांक 07 जनवरी, 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अनिल गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंचनपुर, पंजीयन क्रमांक 1046, दिनांक 07 जनवरी, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460)

रीवा, दिनांक 29 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/419.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./415, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कछिगवां, पंजीयन क्रमांक 1123, दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अनिल गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कछिगवां, पंजीयन क्रमांक 1123, दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(461)

रीवा, दिनांक 29 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/420.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./410, दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाड़र, पंजीयन क्रमांक 1010, दिनांक 04 अक्टूबर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अनिल गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाड़र, पंजीयन क्रमांक 1010, दिनांक 04 अक्टूबर, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(462)

रीवा, दिनांक 29 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/421.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./218, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भनिगवां, पंजीयन क्रमांक 1246, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अनिल गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भनिगवां, पंजीयन क्रमांक 1246, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(463)

रीवा, दिनांक 29 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/422.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./210, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा देवेन्द्र सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोनीकला, पंजीयन क्रमांक 1257, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अनिल गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देवेन्द्र सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोनीकला, पंजीयन क्रमांक 1257, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(464)

रीवा, दिनांक 29 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/423.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./447, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के द्वारा दुधेश्वरनाथ साग-सब्जी सहकारी समिति मर्या., खजुहा, पंजीयन क्रमांक 1215, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री नीलेश पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुधेश्वरनाथ साग-सब्जी सहकारी समिति मर्या., खजुहा, पंजीयन क्रमांक 1215, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

व्ही. के. पाण्डेय,

उप-पंजीयक.

(465)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मई, 2020-ज्येष्ठ 1, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 29 जनवरी, 2020

1. मौसम एवं वर्षा—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिलीमीटर में प्रतिवेदित की गई है.

2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
4. धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
7. अन्य असामयक घटना से छति :- कोई छति नहीं.

8. फसल स्थिति :- जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक-1, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 29 जनवरी, 2020

क्र.	जिला	तहसील	सप्ताह में वर्षा जो हुई मि. मी. वर्षा कम/अधिक.	कृषि कार्यों, प्रारम्भिक जुताई, बोनी पर (रोपाई) पर (धान) कटी हुई	खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण का प्रभाव.	y;	क्षति प्रतिशत में	जिले की गत वर्ष की फसल की तुलना में चालू वर्ष की खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान फसल का क्षेत्रफल-समान या कम प्रतिशत फसल की हालत-समान, बिगड़ी या सुधरी प्रतिशत	5. सिंचाई के लिये पानी पर्याप्त या अपर्याप्त. 6 (अ) चारे की प्राप्ति. 6 (ब) पशुओं की हालत	(7) बीज की प्राप्ति कृषि सम्बन्धी. (8) मजदूरों की प्राप्ति
1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8	9	10
1.	मुरैना :	अम्बाह पोरसा मुरैना जौरा कैलारस सबलगढ़						 चना गेहूँ	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2.	श्यामपुर :	श्यामपुर कराहल विजयपुर वीरपुर बडोदा						तुअर गन्ना गेहूँ खैरसरोवर अलसी मटर अन्य	5. पर्याप्त. 6.(अ)पर्याप्त, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3.	भिण्ड :	अटेर भिण्ड गोहद मेहगांव लहार रौनमिहोना गोरमी मौ						गेहूँ राईसरसों चना	5. पर्याप्त. 6.(अ)पर्याप्त, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
4.	ग्वालियर :	ग्वालियर डबरा भितरवार चीनोर घाटीगांव	.. 0.4					चना मटर #REF!	गेहूँ	रईसरसों	सामान्य सामान्य		समान समान		5.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
5.	दतिया :	सेवड़ा दतिया इन्दरगढ़ बढौनी भाण्डेर						गन्ना चना रईसरसों मसूर गेहूँ ..	.. मटर		अधिक कम समान कम अधिक ..	10% 15% .. 10% 10% ..	सामान्य समान समान समान सामान्य ..		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
6.	शिवपुरी :	शिवपुरी पिछोर खनियाधाना नरवर करैरा कोलारस पोहरी बैराढ़ बदरवास						गेहूँ मसूर	चना	रईसरसों			सुधरी हुई सुधरी हुई		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
7.	अशोकनगर :	मुँगावली ईसागढ़ अशोकनगर चन्देरी नई सराय पिपरई शाढोरा						गन्ना गेहूँ चना			अधिक कम कम	55% 10% 10%	समान सामान्य समान		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.	

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
8.	गुना :	गुना राघोगढ़ बमोरी आरोन चाचौड़ा मकसूदनगढ़ कुम्भराज	..	..	..	..	..	..	गेहूँ अन्य	चना	रईसरसों	सामान्य	..	सामान्य सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
9.	टीकमगढ़ :	निवाड़ी	..	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	0.15	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		पृथ्वीपुर	..	..	..	..	..	..	चना	..	..	अधिक	0.02	सामान्य	..	..	..	..	..	0
		जतारा	..	..	..	..	..	..	जौ	..	..	अधिक	2%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		टीकमगढ़	..	..	..	..	..	..	मटर	मसूर	..	कम	5%	समान	..	..	..	..	..	..
		बल्देवगढ़	..	..	..	..	..	..	रईसरसों	..	..	अधिक	10%	समान	..	..	..	..	..	..
		पलेरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		खरगापुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मोहनगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		लिधौरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		ओरछा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
10.	छतरपुर :	0	..	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	कम	15%	..	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		गौरीहार	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नौगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		छतरपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		राजनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बीजावर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बड़ा मलहरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		महाराजपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		चंदला	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		धुवारा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		लवकुशनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बक्सवाहा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
21.	मंदसौर :	सुवासरा भानपुरा मल्हारगढ़ गरोट मंदसौर श्यामगढ़ सीतामऊ दलोदा धुंधड़क्का संजीत कयामपुर						गेहूँ चना अन्य			अधिक कम कम		सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	80% 80% 80%	5.पर्याप्त	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
22.	नीमच :	जावद नीमच 0 जीरन रामपुर मनासा						गेहूँ चना मटर मसूर राईसरसों अलसी जौं			अधिक अधिक अधिक अधिक कम कम अधिक	5% 30% 100% 65% 70% 60% 100%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
23.	रतलाम :	जावरा आलोट सैलाना बाजना ताल रावटी पिपलोदा रतलाम						गेहूँ चना			समान सामान्य				5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
24.	उज्जैन :	खाचरौद महिदपुर तराना घटिया उज्जैन बड़नगर नागदा	..	..	..	..	..	..	गेहूँ चना राईसरसों	..	..	अधिक कम कम	..	सामान्य सामान्य कम	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, ..	6.(ब)अच्छी. ..	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
25.	आगर :	बड़ौद सुसनेर नलखेड़ा आगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, ..	6.(ब)अच्छी. ..	7. ..	8. पर्याप्त.
26.	शाजापुर:	मोमन (बड़े) शाजापुर शुजालपुर कालापिपल पोलायकलां अबंतीपुर बड़ौदिया गुलाना	..	..	..	..	..	..	गेहूँ चना राईसरसों मसूर तुअर अन्य	..	..	अधिक कम समान कम समान	30% 30% .. 2% ..	समान सामान्य सामान्य सामान्य समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, ..	6.(ब)अच्छी. ..	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
27.	देवास :	सोनकच्छ टोंकखुर्द देवास बागली कन्नोद हाटपिपल्या सतवास उदयनगर खातेगांव	..	..	..	..	..	..	गेहूँ मसूर चना राईसरसों मटर मूंग उड़द	..	..	कम कम कम अधिक अधिक कम कम	15% .. 15% 40% 20%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	..	5. ..	6.(अ)संतोषजनक, ..	6.(ब)अच्छी. ..	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
28.	झाबुआ :	थांदला मेघनगर पेटलावद झाबुआ राणापुर रामा						गेहूँ चना कपास			सामान्य सामान्य		समान सामान्य		5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8.
29.	अलीराजपुर :	जोवट अलीराजपुर कट्टीवाड़ा सोंडवा उदयगढ़ चन्द्रशेखर आ. नगर भामरा		.. बोनी चालू				गेहूँ चना			अधिक कम	2% 2%	सुधरी हुई सुधरी हुई	10% 5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.
30.	धार :	बदनावर सरदारपुर धार कुक्षी मनावर धरमपुरी गंधवानी डही पीथमपुर						गेहूँ चना कपास गन्ना			अधिक कम अधिक समान	15% 25% 5%	सुधरी हुई सुधरी हुई बिगड़ी समान		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.
31.	इन्दौर :	देपालपुर सांवेर इन्दौर गौतमपुरा महू (अम्बे.)						चना गेहूँ			कम अधिक	.. 50%			5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
32.	खरगौन :		..	..	..	..	..	..	कपास	..	..	अधिक	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बड़वाह	..	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	कम	..	समान	..	..	..	..	..	..
		महेश्वर	..	..	..	..	..	..	गेहूँ	चना	..	अधिक	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		सेगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		खरगौन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गोगावां	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		कसरावद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		भगवानपुरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		भीकनगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सनावद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
33.	बड़वानी :	झिरन्या	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	10%	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बड़वानी	..	..	..	..	..	..	चना	..	..	अधिक	25%	समान	..	..	..	..	..	..
		ठीकरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		राजपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सेंधवा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पानसेमल	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पाटी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		अंजड	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बरला	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
34.	खण्डवा :	निवाली	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	कम	5%	सुधरी हुई	2%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
		खण्डवा	..	..	..	..	..	..	चना	..	..	अधिक	2%	सुधरी हुई	2%	..	..	..	..	..
		पुनासा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		खालवा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पंधाना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
35.	बुरहानपुर :	हरसूद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	कपास	..	..	..	..	सुधरी हुई	10%	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बुरहानपुर	..	..	बोनी चालू	..	..	..	तुअर	..	..	कम	5%	सुधरी हुई	10%	..	..	..	..	..
		खकनार	..	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	20%	सुधरी हुई	10%	..	..	..	..	..
		नेपानगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
36.	राजगढ़ :	राजगढ़ जीरापुर खिलचीपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़	..	..	..	..	..	..	गेहूँ चना मसूर अन्य	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
37.	विदिशा :	लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्यौंदा पठारी ग्यारसपुर	..	..	..	..	..	..	गेहूँ चना मसूर	..	..	..	..	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	20% 20% 10%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
38.	भोपाल :	बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़	..	..	..	..	..	..	गेहूँ चना मसूर मटर	..	..	अधिक कम समान सामान्य	5% 10%	सामान्य सामान्य समान सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
39.	सीहोर :	सीहोर आष्टा इछावर नसरुल्लागंज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी	..	..	..	..	..	..	गन्ना गेहूँ चना मसूर राईसरसो	..	..	कम अधिक कम कम सामान्य	.. 5% 10% 5% ..	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.

[illegible]

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
43.	हरदा :	हरदा खिड़किया सिराली रेहटगांव हंडिया टिमरनी		जुताई चालू				गेहूँ चना		अधिक कम		सामान्य		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
44.	जबलपुर:	अधारताल कुण्डम सीहोरा पाटन मझौली शाहपुरा पनागर		जुताई चालू				गेहूँ मसूर मटर		अधिक कम कम	10% 40% 25%	सुधरी हुई सामान्य सामान्य	5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
45.	कटनी :	बहोरीबंद ढीमरखेड़ा रीठी बड़वारा मुड़वारा (क) विजयरावगढ़ बरही	24.5 3.5 2.0 10.0 3.0 3.0 5.0					तुअर चना मसूर राईसरसो अलसी गेहूँ मटर		समान समान सामान्य समान सामान्य समान समान		समान समान सामान्य सामान्य समान समान		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
46.	नरसिंहपुर :	नरसिंहपुर गोटेगांव करेली गाडरवारा तेंदूखेड़ा						गन्ना तुअर गेहूँ चना मसूर मटर		कम अधिक अधिक कम कम अधिक	5% 5% 10% 15% 15% 20%			5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
47.	मण्डला :	मण्डला नैनपुर बिछिया निवास नारायणगंज घुघरी	.. 2.0 .. 1.0 .. 9.6 9.6						तुअर अलसी मसूर गेहूँ	.. रईसरसों मटर चना		समान सामान्य सामान्य समान		सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई		5.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
48.	डिण्डोरी:	डिण्डौरी शाहपुरा बजाग	3.3 .. 2.3 ..					तुअर मटर	गेहूँ मसूर	चना अलसी	समान समान		समान सामान्य		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
49.	छिन्दवाड़ा :	छिन्दवाड़ा तामिया परासिया जुन्नारदेव सोंसर बिछुआ अमरवाड़ा चौरई उमरेठ मोहखेड़ हरई चांद पांडुर्णा													5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.	
50.	सिवनी :	सिवनी बरघाट कुरई केवलारी लखनादोन छपारा धनोरा घंसोर			बोनी चालू				तुअर चना लाख	गन्ना मसूर अलसी	गेहूँ मटर रईसरसों	कम अधिक अधिक		सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	30% 30% 30%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
51.	बालाघाट :		..	..	..	..	..	..	धान	..	..	समान	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लाँजी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	किरनापुर		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बैहर		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	वारासिवनी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कटंगी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लालबर्वा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तिरोडी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	परसवाड़ा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बिरसा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खैरलाँजी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(435)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.